प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 331 सन 2022

अनवान :–

1. मन्जु पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1. रोशनी पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. उदीदेवी पत्नी हरिसिह जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 754/491 की कुल 1.5180हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या के नाम एवं रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 783/491 की कुल 5.0600हैक्ट भूमि मुश्तरका खाता में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि एव अन्य भूमियों को काश्त की सूविधा एव सिचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है और अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया अपने परिवारिक समझौता के अनुसार किये गये बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य किये गये बहामी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सभी एक ही परिवार के सदस्य है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वाद भूमि का काश्त की सूविधा एव सिचाई सुविधा को ध्यान में रखा जाकर परिवारिक समझौता किया जाकर बाहमी बटवारा किया गया था वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने बाहमी बटवार के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 4 में दर्ज है के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी के अनुसार भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में प्रस्तुत हुई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 754/491 की कुल 1.5180हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या के नाम एवं रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 783/491 की कुल 5.0600हैक्‍ भूमि मुश्तरका खाता में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि एव अन्य भूमियों को काश्त की सूविधा एव सिचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है और अपने वाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीया अपने परिवारिक समझौता के अनुसार किये गये वाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 754/491 की कुल 1.5180हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या के नाम एवं रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 783/491 की कुल 5. 0600हैक्‍ भूमि मुश्तरका खाता में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है।

वादीया का कथन है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने वाद भूमि एव अन्य भूमियों को काश्त की सूविधा एव सिचाई सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवारिक समझौता किया जाकर वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी के प0 नं0 303/407 (147) के किला नं. 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.2280 है0, 7 व 8 की 0.506 है0, 13 व 14 की 0.506 है0 15/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 रास्ता, 15/2 की 0.2270 है0, 22 की 0.2530 है0 कुल 1.771 है0 भूमि जिसमें 0.051 है0 रास्ता, 1.720 है0 बारानी प्रथम की भूमि वादीया के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 303/407 (147) के किला नं. 1 व 2 की 0.506 है0, 9 की 0.253 है0, 10 मिन उत्तर की 0.1260 है0 व प0 नं0 302/408 (171) के किला नं. 13, 14, 15 की 0.7590 है0 कुल 1.644 है0 बारानी प्रथम की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 303/407 (147) के किला नं. 3 व 4 की 0.506 है0, 5/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.2280 है0, 10 मिन दक्षिण की 0.1270 है0, 11, 20 की 0.506 है0, 21 की 0.2530 है0 कुल 1.645 है0 जिसमें 0.0250 है0 रास्ता व 1.620 है0 बारानी प्रथम की भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 304/408 (170) के किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.012 है0 व 11, 12 की 0.506 है0 भूमि कुल 1.518 है0 बारानी भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट......चक हरदासपुरा

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मन्जु पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीया

बनाम

1 रोशनी पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
2. उदीदेवी पत्नी हरिसिह जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
3. पवन कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 331 सन 2022 निर्णय दिनांक–16/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गावं के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष – 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 बारानी के प0 नं0 303/407 (147) के किला नं. 6/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 6/2 की 0.2280 है0, 7 व 8 की 0.506 है0, 13 व 14 की 0.506 है0 15/1 की 0.0260 है0 गै0 मु0 रास्ता, 15/2 की 0.2270 है0, 22 की 0.2530 है0 कुल 1.771 है0 भूमि जिसमें 0.051 है0 रास्ता, 1.720 है0 बारानी प्रथम की भूमि वादीया के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 303/407 (147) के किला नं. 1 व 2 की 0.506 है0, 9 की 0.253 है0, 10 मिन उत्तर की 0.1260 है0 व प0 नं0 302/408 (171) के किला नं. 13, 14, 15 की 0.7590 है0 कुल 1.644 है0 बारानी प्रथम की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा प0 नं0 303/407 (147) के किला नं. 3 व 4 की 0.506 है0, 5/1 की 0.0250 है0 गै0 मु0 रास्ता, 5/2 की 0.2280 है0, 10 मिन दक्षिण की 0.1270 है0, 11, 20 की 0.506 है0, 21 की 0.2530 है0 कुल 1.645 है0 जिसमें 0.0250 है0 रास्ता व 1.620 है0 बारानी प्रथम की भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम दर्ज की जावे व प0 नं0 304/408 (170) के किला नं. 1, 2, 9, 10 की 1.012 है0 व 11, 12 की 0.506 है0 भूमि कुल 1.518 है0 बारानी भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/05/22 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप)अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट.........